

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2016

विषय: प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा कृषि विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1171/12-2-2016 दिनांक 17 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषि विभाग की चयनित सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किए जाने के लिए गए निर्णय के निमित्त 26 शासकीय सेवाओं की भाँति कृषि विभाग की सेवाओं को भी जन सामान्य को, जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूजर चार्ज अंश का निर्धारण/विभाजन किया गया है।

2. शासनादेश संख्या: 43/2016/2912/12-2-2016 दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34 आई0टी0/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 के क्रम में यूजर चार्ज अंश का पुनर्विभाजन निम्नवत किया गया है:-

क्र0सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रू0)				कुल यूजर चार्ज (रू0)
		एस0सी0ए0/केन्द्र संचालक	संबंधित विभाग	डी0ई0जी0एस0/लोकवाणी	सी0ई0जी0	
1	सेवाओं का नाम (जनपद बांदा को छोड़कर)	06	05	07	02	20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	सेवाओं का नाम (जनपद बांदा हेतु)	07	05	06	02	20
---	---------------------------------	----	----	----	----	----

3. शासनादेश संख्या: 1171/12-2-2016 दिनांक 17 मई, 2016 के प्रस्तर-2 में कृषि विभाग को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली 05 सेवाओं का उल्लेख किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त 05 सेवाओं के बिन्दु संख्या-1 एवं 2 में उल्लिखित सेवाओं के अन्तर्गत 76 अन्य सेवायें सूची के अनुसार सम्मिलित की जा रही हैं जिनका वर्गीकरण 08 श्रेणियों में किया गया है।

4. योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 17 मई, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार सूची।

भवदीय,

( ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी )  
विशेष सचिव।

संख्या: 44/2016/3095(1) /12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. एस0आई0ओ0एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. हेड एस0 ई0 एम0 टी0, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या: 44/2016/3095/12-2-2016 दिनांक 11 नवम्बर, 2016 का

संलग्नक

सेवाओं की श्रेणी	क्र०सं०	सेवाओं का नाम
संकर बीज सब्सिडी हेतु आवेदन	1	संकर बीज धान
	2	संकर बीज बाजरा
	3	संकर बीज मक्का
	4	संकर बीज ज्वार
	5	संकर बीज कपास
	6	संकर बीज राई/सरसों
सामान्य बीज सब्सिडी हेतु आवेदन	7	गेहूँ बीज
	8	मटर बीज
	9	चना बीज
	10	ढेंचा बीज
	11	सरसों राई बीज
	12	जौ बीज
	13	मक्का बीज
	14	तोरिया बीज
	15	अलसी बीज
	16	मसूर बीज
	17	राजमा बीज
	18	बरसीम
	19	जई
	20	लाही बीज
	21	धान बीज
	22	आलू बीज
	23	मूंग बीज
	24	उर्द बीज
	25	तिल मिनीफिट
	26	मूंगफली
	27	सोयाबीन
	28	अरहर बीज
	29	नैप्सैक स्प्रेयर
	30	पॉवर स्प्रेयर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कृषि रक्षा उपकरण सब्सिडी हेतु आवेदन	31	मानव चालित स्प्रेयर
	32	फुट स्प्रेयर
कृषि रक्षा रसायन सब्सिडी हेतु आवेदन	33	खपरतवार नाशी
	34	कीटनाशक
	35	फफूंदीनाशक
कृषि यंत्र सब्सिडी हेतु आवेदन	36	ट्रैक्टर
	37	रोटावेटर
	38	सीड ड्रिल
	39	पम्प सेट
	40	चारा काटाने की मशीन हस्तचालित
	41	कल्टीवेटर
	42	चेप कटर मानवरहित
	43	लेजर लैण्ड लेवेलर
	44	श्रेशर
	45	ओसाई पंखा
	46	स्प्रिंकलर सेट
	47	हैरो
	48	बोरिंग
	49	रेन-गन
	50	पॉवर वीडर
	51	पैडी श्रेशर
	52	सोलर पम्प
	53	फार्म मशीनरी बैंक
	54	आलू बोने की मशीन
	55	आलू खुदाई की मशीन
	56	ड्रम सीडर
57	कोनोवीडर	
58	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना	
59	वाटर केयरिंग पाइप	
60	पैडी ट्रान्सप्लान्टर	
61	पावर टिलर	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	62	रीपर कम बाइन्डर
	63	राइस ट्रान्सप्लान्टर
अन्य/माइक्रोन्यूट्रियन्ट हेतु आवेदन	64	माइक्रोन्यूट्रियन्ट
	65	जिंक सल्फेट
	66	जिप्सम
	67	एच0डी0पी0ई0 पाइप
	68	लाइन सोविंग
	69	सल्फर
	70	मृदा परीक्षण
	बखारी हेतु आवेदन	71
भूमि उपचार हेतु आवेदन	72	उसर
	73	बंजर
	74	बीहड
	75	दियारा
	76	जलमग्न

( ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी )  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।